क्रम-संख्या—129

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अगस्त, 2024

श्रावण 15, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

———————

संख्या 337 / 79-वि-1—2024-1-क-7-2024

लखनऊ, 6 अगस्त, 2024

——————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 जिससे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 6 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और राज्य के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का, उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का उचित, व्यवस्थित तथा त्वरित विकास का समन्वय एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ स्थापना का उपबंध करने तथा ऐसे विकास हेतु योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों के निष्पादन करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

किसी ऐसे क्षेत्र के विकास हेतु क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का उचित, व्यवस्थित तथा त्वरित विकास का समन्वय एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजन तथा ऐसे विकास हेतु योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों के निष्पादन और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपबंध करना लोकहित में समीचीन है;

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1—(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों तक फैला होगा।

(3) यह दिनांक 7 मार्च, 2024, से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

2—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अधिनियम में :—

(क) 'कृषि' में बागवानी, मुर्गी पालन, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों, घास या किसी भी प्रकार के वृक्षों को उगाना, पशुधन जिसमें मवेशी, घोड़े, गधे, खच्चर, सुअर सम्मिलित हैं, मत्स्य प्रजनन और मधुमक्खियों का पालन, मवेशियों को चराने के लिए भूमि का उपयोग या किसी भी प्रयोजन जो इसकी खेती में सहायक हो या अन्य कृषिक उद्देश्य के लिए, लेकिन इसमें भूमि का उपयोग एक बाग के रूप में जो एक भवन से संलग्न हो, सम्मिलित नहीं है और 'कृषि' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

(ख) 'सुख—सुविधा' में सड़कें, पुल, संचार का कोई अन्य साधन, परिवहन, पानी और बिजली की आपूर्ति, ऊर्जा का कोई अन्य स्रोत, सड़क—प्रकाश, जल निकासी, मलजल निकासी तथा सफाई और कोई अन्य सुविधा सम्मिलित है जैसा कि राज्य सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से समय—समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(ग) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 4बी की उपधारा (1) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण या क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से है;

(घ) ''समिति'' का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारी समिति अभिप्रेत है;

(ङ) 'विकास' का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित किसी भूमि (नदी, झील या किसी अन्य जल के नीचे की भूमि सहित) में या उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण इंजीनियरिंग, खनन या अन्य क्रियायें, या भूमि निर्माण या किसी भवन या भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना उसके ऊपर या उसके नीचे और इसमें किसी भूमि का पुनर्विकास, लेआउट तथा उप प्रभाग सम्मिलित हैं और औद्योगिक, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, वानिकी, डेयरी विकास, मुर्गी पालन, खेती, सुअर पालन, पशु प्रजनन, मत्स्य पालन और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के विकास के लिए सुख सुविधाओं एवं परियोजनाओं और योजनाओं के उपबंध भी सम्मिलित हैं, से है और 'विकास के लिए' शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(च) 'विकास प्राधिकरण' का तात्पर्य—

(एक) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण से है;

(दो) उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986) की धारा 4 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण से है;

(तीन) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 4 के अधीन गठित किसी नियंत्रक प्राधिकरण से है;

(छ) 'विकास योजना' का तात्पर्य कार्यात्मक योजना या क्षेत्रीय योजना के एक या अधिक तत्वों को कार्यान्वित करने की योजना से है;

(ज) 'कार्यात्मक योजना' का तात्पर्य क्षेत्रीय योजना के एक या अधिक तत्वों को विस्तृत करने के लिए तैयार की गई योजना से है;

(झ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ञ) 'भूमि' में भूमि और भूबद्ध चीजों से या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़े हुए चीज से उत्पन्न होने वाले लाभ सम्मिलित हैं;

(ट) 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य–

(एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) के अधीन गठित किसी नगर निगम से है;

(दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) के अधीन गठित किसी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत से है;

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) के अधीन गठित किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से है; या

(चार) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) के अधीन गठित किसी प्राधिकरण से है।

(पांच) सरकार द्वारा किसी विधि के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण से है।

(ठ) 'मास्टर प्लान' का तात्पर्य है विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि के विकास के लिये, उनकी अधिकारिता के भीतर उनके संबंधित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई किसी मास्टर प्लान से है;

(ड) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) 'परियोजना योजना' का तात्पर्य यथास्थिति क्षेत्रीय योजना, जिला योजना, कार्यात्मक योजना, मास्टर प्लान, विकास स्कीम के एक या अधिक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई एक विस्तृत योजना से है;

(ण) 'क्षेत्रीय योजना' का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम में यथा परिभाषित क्षेत्र के विकास या पुनर्विकास के लिए या उसके किसी आंशिक भाग के लिए तैयार की गई योजना से है और इसमें उक्त क्षेत्र या उसके आंशिक भाग के लिए तैयार किया गया मसौदा या अंतिम योजना सम्मिलित है।

(त) 'विनियमन' का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम से है;

(थ) 'नियम' का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से है;

(द) 'उप–क्षेत्र' का तात्पर्य क्षेत्र के ऐसे भाग से है जो पूरी तरह से किसी विशेष विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकायों की सीमाओं के भीतर आता है; और

(ध) 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र' या 'अन्य क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र से है।

अध्याय–दो

राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र

राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन

3–(1) सरकार, एक राज्य राजधानी क्षेत्र की स्थापना कर सकती है जिसमें राज्य की राजधानी और उसके आसपास का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित होगा जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा अवधारित करे और अन्य क्षेत्र जिसमें राज्य के ऐसे अन्य क्षेत्रफल सम्मिलित होंगे जैसा कि सरकार उनकी सीमाओं को परिभाषित करके अधिसूचना द्वारा अवधारित करे और ऐसे क्षेत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक क्षेत्र होंगे और ऐसे किसी भी क्षेत्र का नामकरण और नाम बदल सकती है। किसी भी मामले में, जहां किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण किया जाता हो, तब किसी भी विधि या लिखत या क्षेत्र के लिए अन्य दस्तावेज में सभी संदर्भों को उस पुनः नामकरण किये गये क्षेत्र का संदर्भ माना जाएगा, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो या जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न हो। लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र का मुख्यालय होगा जबकि अन्य क्षेत्रों का मुख्यालय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

2—सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा —

(क) किसी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ताकि उसमें ऐसे क्षेत्र को शामिल किया जा सके या उसमें से बाहर किया जा सके जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ख) एक क्षेत्र बनाने के लिए दो या दो से अधिक क्षेत्रों का समामेलन कर सकती है; या

(ग) किसी भी क्षेत्र को दो या अधिक क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है; या

(घ) घोषणा कर सकती है कि किसी क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले क्षेत्रफल का पूरा या आंशिक भाग एक क्षेत्र या उसका आंशिक भाग नहीं रहेगा।

अध्याय— तीन

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र/अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण का गठन और निगमन

4—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है जिसे राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम से, एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, जंगम तथा स्थावर, दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण तथा निपटान हेतु तथा अनुबंध करने के लिए शाश्वत उत्तराधिकार और शक्ति के साथ एक सामान्य मुद्रा होगी और वह, और अपने पूर्वोक्त निगमित नाम से वाद करेगा या उसके विरूद्ध वाद किया जा सकेगा ।

(3) प्राधिकरण में ऐसी संख्या में सदस्य होंगे जैसा कि विहित किया जाय, और जब तक कि इस निमित्त बनाए गए नियमों में अन्यथा उपबंध न हो, प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थातः —

(क) मुख्यमंत्री प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा;

(ख) उपाध्यक्ष के रूप में सरकार के मुख्य सचिव;

(ग) प्राधिकरण के सदस्य और संयोजक के रूप में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) वित्त, विधि, राजस्व, नियोजन, नगरीय विकास, औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पदेन;

(ङ) मंडलायुक्त जिसका मुख्यालय इस क्षेत्र में हो;

(च) जिला मजिस्ट्रेट जिसका मुख्यालय इस क्षेत्र में हो;

(छ) सम्पूर्ण या क्षेत्र के हिस्से में काम करने वाले संबंधित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष;

(ज) मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(झ) सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विशेषज्ञ व्यक्तियों की संख्या पांच से अधिक नहीं है जिनके पास सरकार की राय में शहरी और क्षेत्रीय विकास, अभियंत्रण, परिवहन, उद्योग और पर्यावरण से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो;

(ञ) प्रबंध निदेशक या उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन या किसी अन्य अभिवहन प्राधिकरण के उनके प्रतिनिधि, वे कोई भी नाम से जाने जांय;

(ट) भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रेलवे और रक्षा के प्रतिनिधि;

(ठ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार के प्रमुख सचिव रैंक से नीचे का नहीं होगा, जब तक सरकार द्वारा अन्यथा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक आवास और शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे;

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और प्राधिकरण द्वारा यथा समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ड) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का सदस्य सचिव;

(4) प्राधिकरण या किसी समिति या उसके अन्य निकाय का कोई भी अधिनियम या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अविधिमान्य नही समझी जाएगी कि –

(क) प्राधिकरण या उसकी समिति या निकाय का कोई भी सदस्य सम्यक रूप से निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या नियुक्त नहीं हो या किसी अन्य कारण से प्राधिकरण या इसकी समिति या निकाय के गठन या किसी भी बैठक के समय पद ग्रहण करने के लिए उपलब्ध नहीं हो या इसके गठन में कोई दोष हो, या कोई व्यक्ति एक से अधिक क्षमता में सदस्य हो या ऐसे किसी भी सदस्य के पदों पर एक या अधिक रिक्तियां हों।

(ख) प्राधिकरण या ऐसी समिति या निकाय की प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो, जो विचाराधीन मामले के गुण–दोष को प्रभावित करती है।

(5) प्राधिकरण तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे; और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का विनिश्चय और पालन करे (जिसमें कोरम भी सम्मिलित हो) जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं।

(6) प्राधिकरण योजनाओं की तैयारी और अवसंरचना के निर्वहन में निम्नलिखित संस्थाओं/संगठनों की सेवाओं का उपयोग कर सकता हैः –

(क) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973), उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986, के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश निर्माण–कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) के अधीन गठित नियंत्रित प्राधिकरण।

(ख) ऐसे क्षेत्र के अधीन आने वाले समस्त नगर निकाय।

(ग) यथास्थिति अन्य सरकारी और अर्ध–सरकारी विभागः

परन्तु यह कि प्राधिकरण, प्रस्ताव द्वारा, यथास्थिति किसी अन्य संस्थान/संगठन को जोड़ सकता है और उन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है।

कार्यकारी समिति की संरचना

5–(1) प्राधिकरण यथाशीघ्र इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात् प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायतार्थ एक समिति का गठन करेगा, जिसे कार्यकारी समिति कहा जाएगा;

(2) कार्यकारी समिति में ऐसे सदस्य समाविष्ट होंगे जैसा विहित किए जाएं और जब तक कि इस निमित्त बनाए गए नियम अन्यथा उपबंध नहीं करते हैं, समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थातः–

(क) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार के सचिव रैंक से अन्यून नगर विकास विभाग का प्रतिनिधि;

(ग) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक;

(घ) मुख्य अभियंता रैंक से अनिम्न लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि;

(ङ) विशेष सचिव रैंक से अनिम्न अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास परिवहन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि;

(च) वरिष्ठ नगर नियोजक रैंक से अनिम्न नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि;

(छ) क्षेत्र के अधीन आने वाले विकास प्राधिकरणों के समस्त उपाध्यक्ष;

(ज) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश;

(झ) मुख्य विकास अधिकारी जिसका मुख्यालय क्षेत्र में हो;

(ञ) क्षेत्र के अधीन आने वाले नगर निगम के नगर आयुक्त;

(ट) कार्यकारी समिति के सदस्य और संयोजक के रूप में प्राधिकरण के सदस्य–सचिव;

(ठ) सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक सदस्य जो नगर नियोजन और विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो,

(3) कार्यकारी समिति ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर बैठक करेगी जैसा उसके अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए और इस संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जैसा वह अवधारित करे या बना सके।

प्राधिकरण या समिति के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों को सहयोजित करना

6—(1) प्राधिकरण या समिति, किसी भी समय और ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्राधिकरण या समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

(2) उप—धारा 5 (2) के अधीन सहयोजित व्यक्ति, यथास्थिति, प्राधिकरण या समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा, किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा।

रिक्तियों आदि से समिति के प्राधिकार की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होना

7—प्राधिकरण या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्न कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी —

(क) प्राधिकरण या समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी दोष की विद्यमानता; या

(ख) प्राधिकरण या समिति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण—दोष को प्रभावित नहीं करती है।

अध्याय—चार

प्राधिकरण और कार्यकारी समिति के कृत्य और शक्तियाँ

प्राधिकरण का कृत्य

8—प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय योजना के अनुसार क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना होगा और उस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे —

(क) क्षेत्र के अधीन वाले चौरस भूमि के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करना;

(ख) संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायत और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ अभिन्न समन्वय में कार्यात्मक योजनाओं, महा योजनाओं, विकास स्कीमों और परियोजना योजनाओं की तैयारी का समन्वय करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक के क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाएं क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हों;

(घ) सरकारी निधि और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से क्षेत्र में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करना और उनकी देखरेख करना; और

(ङ) किसी भी अन्य कर्तव्यों या कृत्यों का पालन करना जो पूर्वगामी कर्तव्यों में से किसी के पूरक, आकस्मिक या परिणामी हैं, या जैसा कि विनियमों द्वारा उल्लिखित किया जाये।

प्राधिकरण की शक्तियाँ

9—प्राधिकरण की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियां सम्मिलित होंगी —

(क) कार्यात्मक योजनाओं और विकास स्कीमों तथा परियोजना योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों अन्य स्थानीय प्राधिकरणों और क्षेत्र के भीतर सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करना;

(ख) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिये चरणों को इंगित करना;

(ग) क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, विकास स्कीमों और परियोजना योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(घ) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करना, प्राथमिकता वाले विकास का आह्वान करना और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता उपबंध करना जैसा प्राधिकरण उचित समझे।

(ङ) स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और अन्य राज्य सरकार के विभागों को ऐसे निदेश देना, जो क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए अत्यावश्यक हों;

(च) विकास क्षेत्रों की घोषणा के लिए क्षेत्र के भीतर स्थित विकास प्राधिकरणों के लिए सरकार की शक्तियों का प्रयोग करना और मास्टर प्लान का अनुमोदन/संशोधन/पुनरीक्षण करना;

(छ) कार्यकारी समिति को ऐसे अन्य कृत्य सौंपें जो वह इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

समिति के कृत्य

10–(1) कार्यकारी समिति के कृत्य, निम्नलिखित रूप में प्राधिकरण की सहायता करना होगा –

(क) क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजना की तैयारी और समन्वित कार्यान्वयन;

(ख) क्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजना योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं।

(ग) कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति;

(घ) प्राधिकरण की परियोजनाओं और योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन, जिसमें ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं की मंजूरी या अस्वीकृति सम्मिलित है;

(ङ) प्राधिकरण की परियोजनाओं और योजनाओं के लिए निविदाओं का अनुमोदन या अस्वीकृति;

(च) सरकार के अनुमोदन से किसी भी तरह से प्राधिकरण के अधिशेष धन का विनिधान;

(छ) प्राधिकरण की ओर से किसी भी कानूनी कार्यवाही को संस्थित, संचालित तथा प्रत्याहृत करना;

(2) समिति प्राधिकरण को ऐसी सिफारिश भी कर सकती है जो वह किसी भी कार्यात्मक योजना, विकास योजना या किसी भी परियोजना योजना में संशोधन या उपांतरण करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) समिति ऐसे अन्य कार्य करेगी जो प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(4) प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन, प्राधिकरण के मामलों का प्रबंधन कार्यकारी समिति में निहित होगा।

अधिकारी और कर्मचारिवृन्द

11–(1) सरकार, सरकार के सचिव से अनिम्न रैंक के अधिकारी को प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करेगी जो प्राधिकरण की समस्त कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगी और प्राधिकरण के समस्त अधिकारी और कर्मचारिवृन्द उसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे।

(2) प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर या नियुक्ति पर उप या सहायक क्षेत्रीय विकास अधिकारियों, शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों, विधि अधिकारी, लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(3) प्राधिकरण समय–समय पर अधिकारियों, कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन के लिए मंजूरी जारी कर सकता है जो प्राधिकरण के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो। भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्त और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य वे होंगे जो विहित किया जाये।

क्षेत्रीय योजना की सामग्री

12–(1) क्षेत्रीय योजना एक लिखित विवरण होगा और इसके साथ ऐसे मानचित्र, आरेख, निदर्शचित्र और वर्णनात्मक मामले होंगे जो प्राधिकरण क्षेत्रीय योजना में निहित प्रस्तावों को समझाने या चित्रित करने के उद्देश्य से समुचित समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, आरेख, निदर्शचित्र और वर्णनात्मक मामले को क्षेत्रीय योजना का एक हिस्सा माना जाएगा।

(2) क्षेत्रीय योजना उस तरीके को इंगित करेगी जिसमें क्षेत्र की भूमि का उपयोग किया जाएगा, जिसमें हरित क्षेत्र, नगरीय वन और आमोद–प्रमोद संबंधी क्षेत्र सम्मिलित हैं, चाहे उन पर विकास करके या संरक्षण द्वारा या अन्यथा. और ऐसे अन्य मामले जिनका क्षेत्र के विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है और ऐसी प्रत्येक योजना में क्षेत्र के विकास और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे, अर्थातः–

(क)–भूमि उपयोग और विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि के आवंटन के संबंध में नीति;

(ख)–प्रमुख नगरीय बस्तियों के व्यवस्थापन पैटर्न के लिए प्रस्ताव;

(ग)–भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबंध करने के प्रस्ताव;

(घ)–सड़क, रेलवे, जलमार्ग, मेट्रो रेल, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और क्षेत्र की सेवा करने वाली धमनी मार्ग सहित परिवहन और संचार के संबंध में प्रस्ताव;

(ङ)–पेयजल की आपूर्ति जल निकासी और मलवहन के लिए प्रस्ताव;

(च)–''प्राथमिकता वाले क्षेत्रों'' के रूप में तत्काल विकास की अपेक्षा वाले क्षेत्रों का;

(छ)–औद्योगिक गलियारे और औद्योगिक पार्क के लिए क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव;

(ज)–ऐसे अन्य मामले जो क्षेत्र के विकास और संतुलित विकास के उचित विकास के लिए राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों की सहमति से प्राधिकरण द्वारा सम्मिलित किए जा सकते हैं।

सर्वेक्षण और अध्ययन

13–क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए, प्राधिकरण ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययन करा सकता है, जिन्हें वह ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा करना आवश्यक समझता है, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त कर सकता है और ऐसे विशिष्ट मामलों के संबंध में अध्ययन करने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या सलाहकारों को भी संबद्ध कर सकता है, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किए जा सकते हैं।

क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

14–(1) किसी भी क्षेत्रीय योजना को तैयार करने से पहले, अंत में, प्राधिकरण समिति की सहायता से एक क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार करेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराके उसे प्रकाशित करेगा और किसी भी व्यक्ति से क्षेत्रीय योजना के प्रारूप के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए उस दिनांक से पहले जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस रूप में और उस तरीके से एक सूचना प्रकाशित करेगा जो विहित की जाए।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर क्षेत्रीय योजना द्वारा छुई गई कोई भी भूमि स्थित है, क्षेत्रीय योजना के मसौदे के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर भी देगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण अंततः क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा।

क्षेत्रीय योजना के प्रचालन का दिनांक

15–(1) क्षेत्रीय योजना अंततः तैयार किए जाने के तुरंत पश्चात, प्राधिकरण इस तरह से एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय योजना अंततः उसके द्वारा तैयार की गई है और उन स्थानों के नाम जहां क्षेत्रीय योजना की एक प्रति का समस्त उचित समय पर निरीक्षण किया जा सकता है और पूर्वोक्त सूचना के पूर्व प्रकाशन की दिनांक पर, क्षेत्रीय योजना प्रचालित होगी।

(2) पूर्व प्रकाशन के पश्चात धारा 14 द्वारा अपेक्षित क्षेत्रीय योजना का प्रकाशन, निश्चायक प्रमाण होगा कि क्षेत्रीय योजना सम्यक रूप से तैयार की गई है।

क्षेत्रीय योजना में संशोधन

16–(1) प्राधिकरण, उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, क्षेत्रीय योजना में ऐसा संशोधन कर सकता है जो अंततः उसके द्वारा तैयार किया गया हो, जो वह उचित समझे, संशोधन हैं जो उसकी राय में, क्षेत्रीय योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करते हैं और जो भूमि–उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानक से संबंधित नहीं हैं।

(2) अंतिम रूप से तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में कोई भी संशोधन करने से पूर्व, प्राधिकरण एक अधिसूचना, ऐसे प्रारूप में और उस रीति से जो विहित हो प्रकाशित करेगा जिसमें उन संशोधनों का संकेत दिया जाएगा जो अंत में तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का उल्लेख करना और प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसे दिनांक से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करना जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करना जो उसे प्राप्त हो सकते हैं।

(3) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक संशोधन को इस रीति से प्रकाशित किया जाएगा जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे और संशोधन या तो ऐसे प्रकाशन के दिनांक को या ऐसे दिनांक को प्रचालित होंगे जो प्राधिकरण नियत करे।

(4) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं जो क्षेत्रीय योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं या क्या वे भूमि उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानक से संबंधित हैं, तो यह प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

क्षेत्रीय योजना में संशोधन

17–(1) अंतिम रूप से तैयार की गई क्षेत्रीय योजना के प्रचालित होने के दिनांक से प्रत्येक दस वर्ष पश्चात, प्राधिकरण ऐसी क्षेत्रीय योजना की सम्पूर्ण रूप से पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन के पश्चात, इसे नवीन क्षेत्रीय योजना द्वारा प्रतिस्थापित कर सकता है या उसमें ऐसे संशोधन या परिवर्तन कर सकता है, जो उसे आवश्यक लगे।

(2) जहां अंतिम रूप से पूर्व में तैयार की गयी क्षेत्रीय योजना के स्थान पर एक नई क्षेत्रीय योजना को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है या जहां अंतिम रूप से तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, ऐसी नई योजना या, जैसा भी मामला हो, संशोधन या परिवर्तन अंत में तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में, उसी तरीके से प्रकाशित और निपटा जाएगा जैसे कि यह धारा 14 और 15 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय योजना थी या जैसे कि वे धारा 16 के अधीन क्षेत्रीय योजना में किए गए संशोधन या परिवर्तन थे।

अध्याय–पाँच

कार्यात्मक योजनाएं, परियोजना योजनाएं, विकास योजना और महायोजनाएं

कार्यात्मक योजना तैयार करना

18–क्षेत्रीय योजना के प्रचालित होने के पश्चात, प्राधिकरण अन्य प्राधिकरणों और उनके परामर्श से संबंधित स्थानीय निकायों के उचित मार्गदर्शन के लिए जितनी आवश्यक हो उतनी कार्यात्मक योजनाएं तैयार कर सकता है।

परियोजना योजनाओं की तैयारी और निष्पादन

19–प्राधिकरण, स्वयं या संबंधित एक या अधिक प्रतिभागी प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के सहयोग से यथाशक्य क्षेत्रीय योजना के एक या अधिक तत्वों के लिए परियोजना योजनाएं तैयार करता है और ऐसी परियोजना योजना का निष्पादन प्राधिकरण द्वारा स्वयं किया जाएगा या प्राधिकरण द्वारा किसी उपयुक्त एजेंसी, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण या किसी सरकारी विभाग को प्राधिकरण द्वारा निष्पादन हेतु समनुदेशित किया जाएगा।

विकास योजनाओं की तैयारी

20–प्राधिकरण, स्वयं या संबंधित एक या अधिक प्रतिभागी प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के सहयोग से यथाशक्य क्षेत्रीय योजना या कार्यात्मक योजना के एक या अधिक तत्वों के लिए विकास योजना तैयार करता है और प्राधिकरण या तो योजना को स्वयं निष्पादित कर सकता है या किसी उपयुक्त एजेंसी, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण या किसी सरकारी विभाग को निष्पादन समनुदेशित कर सकता है।

महायोजना की तैयारी

21–प्रत्येक विकास प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निकाय, जैसा भी मामला हो, क्षेत्रीय योजना के अनुरूप अपनी मास्टर प्लान तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय–छः

वित्त, खाते और लेखा परीक्षा

प्राधिकरण की निधियाँ

22–(1) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्वयं अपनी निधि होगी और उसे बनाए रखा जाएगा जिसमें जमा किया जायेगा –

(क)–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्य के माध्यम से प्राप्त समस्त धन;

(ख)–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से ऋण या डिबेंचर के माध्यम से उधार लिए गए समस्त धन;

(ग)–इस अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त शुल्क, पथकर और शुल्क;

(घ)–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि, भवनों और अन्य चल और अचल संपत्तियों के निपटान से प्राप्त समस्त धन; और

(ङ)–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा किराए और लाभ के रूप में या किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन,

(2) इस निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रशासन में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा और इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होगा।

(3) सरकार के किसी भी निदेश के अध्यधीन, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किसी भी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में अपनी निधि से ऐसी धनराशि रख सकता है जो वह अपनी अपेक्षित वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे और किसी भी अधिशेष धन का निवेश इस तरह से कर सकता है जो वह उचित समझे।

(4) सरकार, उस ओर से कानून द्वारा विधानमंडल द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को ऐसे अनुदान, अग्रिम और ऋण दे सकती है जो सरकार इस अधिनियम के तहत क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे और किए गए सभी अनुदान, ऋण और अग्रिम ऐसे नियमों और शर्तों पर होंगे जो सरकार निर्धारित करे।

(5) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार के अतिरिक्त) से ऋण या डिबेंचर के माध्यम से और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धन उधार ले सकता है जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(6) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उप–धारा (5) के अधीन उधार लिए गए धन के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि बनाए रखेगा और निक्षेप निधि में प्रत्येक वर्ष ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो इस तरह से उधार लिए गए समस्त धन की नियत अवधि के भीतर पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त हो।

(7) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग उस ऋण के निर्वहन में या उसके लिए लागू किया जाएगा जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गई थी और जब तक ऐसा ऋण पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया जाता है, तब तक इसे किसी अन्य प्रयोजनार्थ लागू नहीं किया जाएगा।

बजट

23–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ऐसे रूप में और ऐसे समय पर, जो सरकार विहित करे, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में एक बजट तैयार करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

24–(1) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और तुलनपत्र सहित लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जो सरकार विहित करे।

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के खातों का वार्षिक लेखा–परीक्षण परीक्षक, स्थानीय निधि खातों के अध्यधीन होगाः

परन्तु यह कि परीक्षक, स्थानीय निधि खातों के स्थान पर या उनके अतिरिक्त, सरकार महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या किसी अन्य महालेखा परीक्षक को ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, इस रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय पर लेखा परीक्षा सौंप सकती है, जिस पर उनके और सरकार के बीच सहमति हो।

(3) उप–धारा (2) के अधीन लेखापरीक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार –

(क) परीक्षक के मामले में खाते वहीं होंगे जो स्थानीय प्राधिकारी के खातों के लेखा परीक्षा के संबंध में उसके पास है;

(ख) उत्तर प्रदेश के महालेखाकार या यथाशक्य, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वही होगा जो उसने सरकारी खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में किया है, और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में, जैसा कि विहित किया गया है; और, विशेष रूप से, उसे पुस्तकों, खातों, जुड़े वाउचर, कागजात और अन्य दस्तावेजों को पेश करने की मांग करने और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लेखा, जो लेखा परीक्षक या उस ओर से उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ सरकार को सालाना या ऐसे समय पर भेजे जाएंगे जो उसके द्वारा निर्देशित किए जाएं। सरकार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(5) लेखापरीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक द्वारा किया गया कोई भी खर्च क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षक को देय होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

25—क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार को उस रूप में और उस दिनांक को या उससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो सरकार विहित करे और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

पेंशन और भविष्य निधि

26—(1) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने पूर्णकालिक वेतनभोगी सदस्यों और अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) जहां ऐसे किसी व्यक्ति या भविष्य निधि का गठन किया गया है, वहां सरकार घोषणा कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 19, सन 1925) का उपबंध ऐसी निधि पर लागू होंगे मानो की वह सरकारी भविष्य निधि हो।

परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तपोषित करने और उनकी शर्तें अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति

27—प्राधिकरण धारा 12 के किसी भी प्रयोजन हेतु राज्य राजधानी क्षेत्र में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को अनुदानों, अग्रिमों या ऋणों को देने या व्ययों को साझा करने के लिए सक्षम होगा, और तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य के किसी विधि में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी निर्बन्धनों के अध्यधीन यदि कोई उसमें अन्तर्विष्ट हो वह ऐसे निबन्धन और पूर्ति के अध्यधीन ऐसे अनुदानों, अग्रिमों या ऋणों या व्ययों को साझा करने में स्वीकार करने हेतु ऐसे अन्य प्राधिकरण के लिए विधिपूर्ण होगा, जैसा कि प्राधिकरण ऐसे अन्य प्राधिकारी के परामर्श से समय—समय पर विनिर्दिष्ट करें।

प्राधिकरण द्वारा लिए गए या दिए गए ऋणों के लिए राज्य गारंटी

28—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए या दिए गए या उसे अंतरित किए गए किसी भी ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की गारंटी ऐसी शर्तों के अध्यधीन दे सकती है, जैसा कि राज्य सरकार अधिरोपित करने के लिये उचित समझे।

अध्याय—सात

भूमि और संपत्ति संबंधी उपबंध

प्राधिकरण द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण

29—प्राधिकरण किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन क्रय, विनिमय, दान, पट्टे, बंधक, बातचीत के निपटान या किसी भी विधि के अधीन अनुन्जेय किसी अन्य माध्यम से कर सकता है।

भूमि अर्जन की शक्ति

30—किसी भी योजना में अपेक्षित, आरक्षित या नामित किसी भी भूमि को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम—2013 (अधिनियम संख्या—30 सन् 2013) के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि समझा जाएगा और प्राधिकरण के अनुरोध पर सरकार द्वारा अर्जित किया जा सकता है।

भूमि विकास बैंक का सृजन और प्रबंधन

31—प्राधिकरण एक क्षेत्र भूमि विकास बैंक का सृजन और रखरखाव करेगा जिसमें किसी भी माध्यम से अर्जित, आवंटित, क्रय या प्राप्त की गयी सभी भूमि का रखरखाव, संरक्षण और अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

सरकारी भूमि का प्राधिकरण को अंतरण

32—सरकार विशिष्ट आदेशों द्वारा और ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जिन पर सरकार और प्राधिकरण के मध्य सहमति हो सकती है और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी विकसित और अविकसित सरकारी भूमि को प्राधिकरण के निपटान में रखती है।

प्राधिकरण द्वारा भूमि और अन्य संपत्ति का निपटान

33—(1) प्राधिकरण अपने निपटान में उपलब्ध भूमि का उपयोग केवल परियोजना योजना या विकास योजना के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए करेगा। तथापि, सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये किसी भी निदेशों के अध्यधीन और ऐसी भूमि के अनुदान या अर्जन के निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, प्राधिकरण किसी भी भूमि का निपटान कर सकता है, उस पर कोई विकास कार्य किये बिना या कार्यान्वित किये बिना या ऐसा विकास करने या कार्यान्वित करने के बाद जो वह ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित समझे, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समीचीन मानती है।

(2) इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं किया जायेगा जो दान के रूप में भूमि का निपटान करने में प्राधिकरण को समर्थ बनाता हो, किन्तु इस अधिनियम में अध्यधीन भूमि के निपटान हेतु सन्दर्भों को किसी रीति से चाहें विक्रय, विनिमय या पट्टे के रूप में या किसी सुखाचार के सृजन, अधिकार या विशेषाधिकार या अन्यथा द्वारा उसके निपटान के संदर्भ के रूप में माना जायेगा।

अध्याय—आठ

विविध

अध्यारोही प्रभाव रखने के लिए अधिनियम

34—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी डिक्री या आदेश में या इस अधिनियम से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य के किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उसके साथ असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

निदेश देने की सरकार की शक्ति

35—सरकार समय—समय पर प्राधिकरण को ऐसा निदेश दे सकती है जैसी वह इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए उचित समझे और जब ऐसा कोई निदेश दिया जाता है, तो प्राधिकरण ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन

36—(1) अंतिम रूप से प्रकाशित करने योग्य क्षेत्रीय योजना के प्रवर्तन में आने पर या आने से, उस क्षेत्र में कोई विकास योजना नहीं बनायी जाएगी जो अंतिम रूप से यथा प्रकाशित क्षेत्रीय योजना से असंगत हो।

(2) जहां प्राधिकरण का समाधान हो जाय कि किसी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी विभागों और व्यक्तियों ने ऐसी गतिविधि की है या कर रहे हैं जिससे क्षेत्रीय योजनाओं का उल्लंघन हो, तो वह लिखित सूचना द्वारा यथास्थिति संबंधित प्रतिभागी स्थानीय प्राधिकरण सरकारी विभागों और व्यक्तियों को ऐसे समय के भीतर क्षेत्रीय योजना के ऐसे उल्लंघन को रोकने हेतु निर्देश दे सकता है जैसा कि उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और किसी भी लोप या इंकार की दशा में ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी विभागों और व्यक्तियों की ओर से संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों की ऐसी वित्तीय सहायता को रोका जाये जैसा प्राधिकरण आवश्यक समझे और इस संबंध में बनाए गए नियम के अनुसार कोई अन्य कार्रवाई करे।

प्रतिनिधि मण्डल की शक्ति

37—प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, समय—समय पर, अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) या इस अधिनियम द्वारा या किसी के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी कृत्य या उसके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले किसी कर्तव्य को ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है जो ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट किये जायें।

प्रवेश की शक्ति

38—इस निमित्त में बनाए गए किसी भी नियम के अध्यधीन, इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि या परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकता है और उस पर ऐसी चीजें कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य के करने के लिए प्रारंभिक या आनुषंगिक रूप से किसी भी कार्य को विधिपूर्ण करने या कोई सर्वेक्षण, परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भवन, या आवासीय निवास गृह से जुड़े किसी संलग्न आंगन या बगीचे में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि उस पर कब्जा करने वाले को ऐसा करने के अपने आशय के बारे में पहले कम से कम तीन दिनों की लिखित सूचना न दी गई हो।

सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक होंगे

39—प्राधिकरण के सदस्य—सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते हैं या कार्य करने के लिये तात्पर्यित हों, तो वे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्यां 45, सन 2023) की धारा 2 के खण्ड (28) के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण

40—प्राधिकरण या किसी सदस्य या किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी, जिसमें प्राधिकरण द्वारा किसी भी शक्ति का प्रयोग करने या इस अधिनियम के अधीन किसी भी कृत्य का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है, या किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से की जाने वाली हो या किये जाने के आशयित हो।

नियम बनाने की शक्ति

41—(1) राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित में से किसी मामले के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थातः —

(क) क्रमशः धारा 4 की उप—धारा (3) और धारा 5 की उप—धारा (2) द्वारा विहित किये जाने वाले यथा अपेक्षित प्राधिकरण और समिति के सदस्यों की संरचना और संख्या;

(ख) प्राधिकरण और समिति के सदस्यों के पद के निबन्धनों और शर्तों;

(ग) वह प्रपत्र और रीति जिसमें धारा 14 की उप—धारा (1) और धारा 16 की उप—धारा (2) के अधीन सूचना प्रकाशित की जाएगी;

(घ) वह रीति जिसमें धारा 15 की उप—धारा (1) के अधीन सूचना प्रकाशित की जाएगी;

(ङ) वह प्रपत्र जिसमें और जिस समय प्राधिकरण धारा 23 के अधीन अपना बजट और धारा 25 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और जिस रीति से प्राधिकरण के लेखाओं को धारा 23 के अधीन बनाए रखा जायेगा और लेखा परीक्षा किया जाएगा;

(च) धारा 38 के अधीन प्रवेश करने की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में शर्तें और निर्बन्धन और उससे संबंधित अन्ये मामले; और

(छ) वह प्रपत्र और रीति जिसमें धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन कार्रवाई करने के लिए इसके अधीन नोटिस जारी किया जाना है;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

42—(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के साथ संगत विनियम और इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये उसके अधीन बनाये गये नियमों को बना सकता है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम सभी या निम्नलिखित में से किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थातः —

(क) जिस रीति से और उन प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकता है;

(ख) धारा 11 की उप—धारा (3) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें; और

(ग) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में विनियम द्वारा उपबंध किये जाने हैं या किए जा सकते हैं।

प्राधिकरण का विघटन

43–(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि जिन प्रयोजनों लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी, वे पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लिया गया या प्राधिकरण अपने उद्देश्यों में विफल रहा है, ताकि प्राधिकरण के निरंतर अस्तित्व को अनावश्यक बनाया जा सके, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि प्राधिकरण को ऐसे दिनांक से प्रभावी रूप से भंग कर दिया जाएगा जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाय और प्राधिकरण को तदनुसार भंग हुआ समझा जायेगा।

(2) उक्त दिनांक से –

(क) सभी संपत्तियाँ, निधियाँ और देय राशि जो प्राधिकरण में निहित हैं या प्राधिकरण द्वारा वसूलने योग्य है, वह राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूली योग्य होगी।

(ख) प्राधिकरण के विरूद्ध प्रवर्तनीय सभी देनदारियां राज्य सरकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय होंगी।

(ग) किसी विकास को निष्पाादित करने के प्रयोजनार्थ जो प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया हो और खंड (क) में निर्दिष्ट संपत्तियों, निधियों और बकाया की वसूली के प्रयोजन हेतु प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किये जायेगें।

(3) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण का पुनर्गठन करने से रोकती है।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2024

44(1) उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

नगरीकरण, राज्य की आर्थिक समृद्धि और विकास एवं लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रमुख कारक है। राज्य में नगरीकरण के त्वरित विकास के कारण प्रदेश के कतिपय बड़े शहरों यथा लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, आदि चतुर्दिक जिलों में अपेक्षाकृत तीव्र गति से आर्थिक क्रियाकलापों एवं नगरीकरण का विस्तार हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों के नियोजित विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान परिस्थितियों में, आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय नियोजन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में क्षेत्रीय नियोजन हेतु कोई उपबंध नहीं है। अतएव, राज्य में क्षेत्रीय नियोजन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करने की व्यवस्था किये जाने हेतु विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 07–03–2024 को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।